कार्यालय निदेशक जे.के. कैंसर संस्थान,कानपुर

OFFICE OF THE DIRECTOR, J.K. CANCER INSTITUTE, KANPUR

(U.P. Govt. Institution)

Phone: +91 512 2970777

सं0 609-10/जेके/2025 दिनांक- 17-06-2025

-विज्ञप्ति -

राजकीय जे.के.कैंसर संस्थान, कानपुर उ0प्र0 के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पद पर साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति -

उत्तर प्रदेश शासन ,चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या -148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक-14-06-2024 एवं महानिदेशालय के पत्रांक-एम0ई0-2/2024/1627, दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन में राजकीय जे0के0कैंसर संस्थान, कानपुर में विभिन्न विभागों में रिक्त आचार्य , सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (Walk In Interview) , विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात प्रत्येक मंगलवार को संस्थान स्तर से सम्पन्न किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों आदि तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के 02 सेट के साथ संस्थान के निदेशक कक्ष में प्रातः 10:00 से 12:00 बजे मध्य अवश्य उपस्थित हों। निर्धारित समय के बाद उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का साक्षात्कार (Walk In Interview उस दिन नहीं लिया जायेगा। पदो की अर्हता के सम्बन्ध में शैक्षिक/अनुभव/शोध पत्र प्रकाशन में एन0एम0सी0 द्वारा निर्गत गाइड लाइन का पालन किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में कहीं भी कार्यरत हो तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। नियक्ति की शर्तों की विस्तृत जानकारी हेतु संस्थान की वेबसाइट www.jkci.org एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट www.updgme.up.gov.in देखें।

क्र0	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदो की संख्या एवं आरक्षण श्रेणी								
		आचार्य			सह आचार्य			सहायक आचार्य		
		पदों की संख्या	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	पदों की संख्या	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	पदों की संख्या	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
01	एनेस्थीसियोलॉजी	01	अनुसूचित जाति	01	-	-	-	-	-	-
02	पैथोलॉजी	01	अनारक्षित	02	-	-	-	01	अनुसूचित जाति	01
03	रेडियोडाग्नोसिस	-	-	-	01	अनारक्षित	02*	-	-	-
04	रेडियोलॉजिकल फिजिक्स	-	-	-	-	-	-	01	अनारक्षित	02*
05	सर्जिकल आंकोलॉजी	01	अनारक्षित	02*	01	अनुसूचित	01	01	अनारक्षित	02

नोट- विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात माह के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित साक्षात्कार में यदि लगातार 04 मंगलवार तक उपरोक्त आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तथा पद रिक्त रहता है तो ऐसे पदो पर 05 वें मंगलवार को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जायेगा।

निदेशक
Director
J.K. Cancer Institute
Kanpur

Publication samvida

संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के नियम व शर्तें-

1. संविदा के आधार पर नियक्त किए जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों का वेतन निम्नवत होगा-

पदनाम	नियत वेतन
आचार्य	2,20,000/- प्रतिमाह
सह आचार्य	1,60,000/- प्रतिमाह
सहायक आचार्य	1,20,000/- प्रतिमाह

2. विज्ञापित पदों पर आवेदन हेतु आवेदनकर्त्ता को Medical council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institution Regulations,2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक आहर्ताए एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
3. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
4. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्रावेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षको को संस्थान में आकस्मिकता/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा संस्थान में आने वाले रोगियों को प्राइवेट में देखने को बाध्य नहीं करेगा।
7. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगे।
8. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
9. संविदा की अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें एवं न ही इस अवधि के लिए कोई बोनस पायेगें।
10. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय उनके विरूद्ध माननीय न्यायालाय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाये, सम्बन्धी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा मे विनियतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
12. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त किया जा सकता है।
13. उक्त परिपेक्ष में शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनांक 15.12.2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनांक 11.04.2013 तथा शासनादेश संख्या- सीएम-3/71-1-14-जी-63/2008, दिनांक 22.01.2015 एवं शासनादेश संख्या-104/2019/ 5044/71-1-19-जी-63/2008, दिनांक 21.11.2019 में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगे।

Director
J.K. Cancer Institute
Kanpur

Publication samvida